

संख्या 20062/2/77-अ०भा०से०(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक

1 जुलाई

1978

सेवा में,

सभी राज्यों के मुख्य सचिव ।

विषय :- औद्योगिक उपक्रमों में निदेशकों अथवा सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों के रूप में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के यात्रा भत्ते आदि ।

- - -

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 1975 के पत्र संख्या 20062/1/75-अ०भा०से०(11) में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्यों की जो विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों/संस्थाओं में निदेशकों, प्रतिनिधियों अथवा सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों के रूप में सरकारी हैसियत से नियुक्त हैं, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवार्थ (यात्रा भत्ता) नियम, 1954 के नियम 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित सरकार के उपयुक्त नियमों द्वारा नियमित होगा ।

भवदीय,



(के०के० जैसवाल)

उप सचिव, भारत सरकार